



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29999

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4003 वर्ष 2026

इफ्तखार अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अकरम और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रजनीश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव, विनाद कुमार जायसवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका गांव सभा के सदस्य द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2, तहसीलदार (न्यायिक), जिला देवरिया को निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत गांव सभा द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसे वाद संख्या 18918 वर्ष 2025, कंप्यूटर केस संख्या टी202505200118918 के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 67 के उप-नियम 6 के अनुसार, सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर इस तरह की कार्यवाही का निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है।
- मामले के इस दृष्टिकोण में और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका को संबंधित प्राधिकारी को उपरोक्त कार्यवाही को कड़ाई से कानून के अनुसार, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 67 के उप-नियम 6 के प्रावधानों के अनुरूप निस्तारित करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"